रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 472] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 1975/कार्तिक 28, 1897

No. 472] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 1975/KARTIKA 28, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 19th November 1975

S.O. 665(E)/18E/IDRA/75.—Whereas the Central Government has, by its notified order in Ministry of Industry and Civil Supplies, No. S.O. 508(E), dated 12th September, 1975, issued under the clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) authorised Shri M. K. Modwel to take over the management of the Industrial Undertaking known as M/s. Sen Raleigh Industries Limited, Calcutta (hereinafter in this order referred to as the industrial undertaking), for the periods specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18(E) of the said Act, the Central Government hereby specifies in the schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall continue to apply, to the industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the said notified order under section 18AA.

THE SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking
(1)	(2)
Section 224	The provisions of sub-section (7) of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 225	The provisions of sub-section (1) of this section shall not apply to the industrial undertaking.

[No. F. 2/21/75-CUC]

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1975

का० आ० 665 (अ)/18 उ०/उ० वि० वि० अ०/75.—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन जारी किए गए उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 508 (अ), तारीख 12 सितम्बर, 1975 द्वारा श्री एम० के० माडवेल को मैसर्स सेन रेलेह इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 (ङ) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में उन छूटों, निर्बन्धनों और सीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रम को उस रीति से लागू होता रहेगा जैसे वह धारा 18कक के अधीन उक्त अधिसूचित आदेश के जारी करने से पूर्व लागू होता था ।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	वे छूटें, निर्बन्धन और सीमाएं जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध उपक्रम को लागू होंगे
(1)	(2)
धारा 224	इस धारा की उपधारा (7) के उपबन्ध इस औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।
धारा 225	इस धारा की उपधारा के (1) उपबन्ध इस औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।

[सं० फा० 2/21/75-सी यू० सी०]

S.O. 666(E)/18E/IDRA/75.—Whereas the Central Government has, by its notified order in Ministry of Industry and Civil Supplies, No. S.O. 509(E), dated 12th September, 1975, issued under the clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) authorised Shri M. K. Modwel to take over the management of the Industrial Undertaking known as M/s. Ancillary Industries (Lugs) Private Limited, Calcutta (hereinafter in this order referred to as the industrial undertaking), for the periods specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18(E) of the said Act, the Central Government hereby specifies in the schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall continue to apply, to the industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the said notified order under section 18AA.

THE SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking
(1)	(2)
Section 224	The provisions of sub-section (7) of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 225	The provisions of sub-section (1) of this section shall not apply to the industrial undertaking.

[No. F. 2/27/75-CUC]

का० आ० 666(अ)/18 उ०/उ वि० वि०अ०/75.—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन जारी किए गए उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 509 (अ), तारीख 12 सितम्बर, 1975 द्वारा श्री एम० के० माडवेल को मैसर्स एन्सीलरी इण्डस्ट्रीज (लग्स) प्रा० लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18(ङ) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में उन छूटों, निर्बन्धनों और सीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रम को उस रीति से लागू होता रहेगा जैसे वह धारा 18क के अधीन उक्त अधिसूचित आदेश के जारी करने से पूर्व लागू होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	वे छूटें, निर्बन्धन और सीमाएं जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध उपक्रम को लागू होंगे
(1)	(2)
धारा 224	इस धारा की उपधारा (7) के उपबन्ध इस औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
धारा 225	इस धारा की उपधारा (1) के उपबन्ध इस औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।

[सं० फा० 2/27/75-सी० यू०सी०]

S.O. 667(E)/18E/IDRA/75.—Whereas the Central Government has, by its notified order in Ministry of Industry and Civil Supplies, No. S.O. 510(E), dated 12th September, 1975, issued under the clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) authorised Shri M. K. Modwel to

take over the management of the Industrial Undertaking known as M/s. Sen and Pandit Industries Limited, Calcutta (hereinafter in this order referred to as the industrial undertaking), for the periods specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18(E) of the said Act, the Central Government hereby specifies in the schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall continue to apply, to the industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the said notified order under section 18AA.

THE SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking
(1)	(2)
Section 224	The provisions of sub-section (7) of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 225	The provisions of sub-section (1) of this section shall not apply to the industrial undertaking.

[No. F. 2/28/75-CUC]

का० आ० 667(अ)/18उ०/उ० वि० वि० अ०/75.—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन जारी किए गए उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 510 (अ), तारीख 12 सितम्बर, 1975 द्वारा श्री एम० के० माडवेल को मैसर्स सेन एण्ड पंडित इण्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18(ङ) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में उन छूटों, निर्बन्धनों और सीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रम को उस रीति से लागू होता रहेगा जैसे वह धारा 18कक के अधीन उक्त अधिसूचित आदेश के जारी करने से पूर्व लागू होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	वे छूटें, निर्बन्धन और सीमाएं जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध उपक्रम को लागू होंगे
(1)	(2)
धारा 224	इस धारा की उपधारा (7) के उपबन्ध इस औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
धारा 225	इस धारा की उपधारा (1) के उपबन्ध इस औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।

[सं० फा० 2/28/75-सी० यू० सी०]

S.O. 668(E)/18E/IDRA/75.—Whereas the Central Government has, by its notified order in Ministry of Industry and Civil Supplies, No. S.O. 511(E), dated 12th September, 1975, issued under the clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) authorised Shri M. K. Modwel to take over the management of the Industrial Undertaking known as M/s. Ancillary Industries (Forgings) Private Limited, Calcutta (hereinafter in this order referred to as the industrial undertaking), for the periods specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18(E) of the said Act, the Central Government hereby specifies in the schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall continue to apply, to the industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the said notified order under section 18AA.

THE SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking
(1)	(2)
Section 224	The provisions of sub-section (7) of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 225	The provisions of sub-section (1) of this section shall not apply to the industrial undertaking.

[No. F. 2/29/75-CUC]

का० आ० 668 (अ)/18 उ०/उ०वि०वि०अ०/75.—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन जारी किए गए उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 511 (अ), तारीख 12 सितम्बर, 1975 द्वारा श्री एम० के० माडवेल को मैसर्स एन्सीलरी इंडस्ट्रीज (फ़ोर्जिग्स) प्रा० लि०, कलकत्ता (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उसमें विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18(ङ) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में उन छूटों, निर्बन्धनों और सीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रम को उस रीति से लागू होता रहेगा जैसे वह धारा 18 कक के अधीन उक्त अधिसूचित आदेश के जारी करने से पूर्व लागू होता था ।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंध	वे छूटें, निर्बन्धन और सीमाएं, जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबंध उपक्रम को लागू होंगे
(1)	(2)
धारा 224	इस धारा की उपधारा 7 के उपबंध इस औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।

(1)	(2)
धारा 225	इस धारा की उपधारा 1 के उपबंध इस औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।

[सं० फा० 2/29/75-सी०यू०सी०]

S.O. 669(E)/18E/IDRA/75.—Whereas the Central Government has, by its notified order in Ministry of Industry and Civil Supplies, No. S.O. 512(E), dated 12th September, 1975, issued under the clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) authorised Shri M. K. Modwel to take over the management of the Industrial Undertaking known as M/s. Ancillary Industries (Cranks) Private Limited, Calcutta (hereinafter in this order referred to as the industrial undertaking), for the periods specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18(E) of the said Act, the Central Government hereby specifies in the schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall continue to apply, to the industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the said notified order under section 18AA.

THE SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking
(1)	(2)
Section 224	The provisions of sub-section (7) of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 225	The provisions of sub-section (1) of this section shall not apply to the industrial undertaking.

[No. F. 2/30/75-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

का०आ० 669 (अ)/18उ०/उ० वि०वि०अ०/75.—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन जारी किए गए उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 512 (अ), तारीख 12 सितम्बर, 1975 द्वारा श्री एम० के० माडवेल को मैसर्स एन्सीलरी इंडस्ट्रीज (क्रेन्कस) प्राइ० लिमि०, कलकत्ता (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उसमें विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 (ङ) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में उन छूटों, निर्बन्धनों और सीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रम को उस रीति से लागू होता रहेगा जैसे वह धारा 18क क के अधीन उक्त अधिसूचित आदेश के जारी करने से पूर्व लागू होता था ।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंध	वे छूटें, निर्बन्धन और सीमाएं जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबंध उपक्रम को लागू होंगे
(1)	(2)
धारा 224	इस धारा की उपधारा 7 के उपबंध इस औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।
धारा 225	इस धारा की उपधारा 1 के उपबंध इस औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।

[सं० फ़ा० 2/30/75-सी० यू० सी०]

सी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975